निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2014	05.03.2014	09.04.2015

1. अतरसिंह पुत्र सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. विजेन्द्र पुत्र सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. जगदीश पुत्र सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. किस्तूरी बेवा सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
6. द्रोपती पुत्री सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
7. विरमा पुत्री सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
8. चन्दा पुत्री सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
9. लता पुत्री सरदार, जाट नि0 जाटबडौदा तहसील गंगापुरसिटी——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा पंचायत समिति गंगापुर सिटी
2. दयानन्द पुत्र सरदार, जाट निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. तहसीलदार भू–अभिलेख गंगापुर सिटी ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 5.8.2013 ग्राम जाटबडौदा

उपस्थितः– श्री गोपाललाल शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पिता सरदार पुत्र गंगाविशन जाति जाट निवासी जाटबडौदा की मृत्यु दिनांक 2.7.2012 को हो चुकी थी। मृत्यु से पूर्व मृतक सरदार ने अपने एक लडके दयानन्द रेस्पो0 नं0 2 को दिनांक 1.6.94 को दलगंजी पुत्र गंगाविशन को गोद दे दिया था। दयानन्द के गोद चले जाने के बाद दयानन्द के सारे अधिकार सरदार की जायदाद से समाप्त हो गए और गोद पिता दलगंजी की जायदाद में समाहित हो गए। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दयानन्द का नाम इन्द्राज हो गया। सरदार की मृत्यु दिनांक 2.7.2012 के बाद उसके वारिसों के नाम नामान्तरकरण दिनांक 1.8.2013 को भरा गया। उस वक्त अपीलार्थीगण ने हलका पटवारी व सरपंच से प्रार्थना की कि उनका एक भाई दयानन्द दलगंजी के गोद चला गया है। यह तथ्य रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 1.6.94 से प्रमाणित व साबित है लेकिन सरदार की विरासत में उन्होने दयानन्द का नाम अंकित कर दिया । कथित नामान्तरकरण को दिनांक 5.8.2013 को सरपंच खानपुरबडौदा ने स्वीकार कर दिया । इस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 8.2.2014 को रिकार्ड देखने से हुई। अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तब स्पष्ट साबित हो गया कि सरपंच ने गलत नामान्तरकरण तस्दीक किया है। सरपंच ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा का नामान्तरकरण आदेश गलत आर्वीट्रेरी इल्लीगल है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 392 क्र0सं0 444 दिनांक 5.8.2013 ग्राम खानपुरबडौदा निरस्त किया जावे तथा सरपंच व

इलका पटवारी को निर्देश दिए जावें कि वे पुनः सही विरासत का नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करें।

अपील नामान्तरकरण के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण सं0 444 दि0 5.8.13, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, फोटोकोपी गोदनामा दिनांक 1.6. 94 पेश किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण तलब किया गया । रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए । रेस्पोन्डेन्ट नं0 1, 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए ।

अपीलार्थी अतरसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पेश कर अपील में वर्णित नामान्तरकरण संख्या 392 की जगह 444 का संशोधन करने बाबत् निवेदन किया।

अपील पर एवं प्रार्थना पत्र तहत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के वकील ने अपनी अपील व प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 के वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रस्तुत अपील गलत नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है इसलिए इसे खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण का अवलोकन किया। अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 392 दिनांक 12.8.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह नामान्तरकरण रहननामे के आधार पर खोला गया है जिसमें सरदार पुत्र गंगाविशन जाट जाट ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी के यहां रहन रखा है। यह नामान्तरकरण नियमानुसार सही खोला गया है। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण की अपील चलने योग्य नहीं है। जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 स्वीकार करने का प्रश्न है, हम इसे स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं परन्तु न्यायहित में अपीलार्थीगण को नई अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 392 ग्राम जाटबडौदा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एवं इस अपील में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 अस्वीकार किए जाते हैं साथ ही अपीलार्थीगण को नई अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलार्थीगण को उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाए जावें। मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी को वापिस लौटाया जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी